

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (Maharashtra)

महाराष्ट्र में 40 से 79 साल की विधवाओं के लिए मासिक पेंशन।

क्या मिल सकता है

हर महीने 1,500 रुपये: 300 रुपये केंद्र सरकार के और 1,200 रुपये राज्य की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के।

किसके लिए है

40 से 79 साल की विधवाएं, जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है।

मुख्य शर्तें

- उम्र 40 से 79 साल।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की विधवा।

आवेदन कैसे करें

- क्लेक्टर कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या तलाठी कार्यालय में आवेदन दें।
- आप पोर्टल nsap.nic.in पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/indira-gandhi-national-widow-pension-scheme/>

आधिकारिक आवेदन: <https://nsap.nic.in/>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/ignwps-maharashtra/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।